

लय तहसीलदार तहसील-हनुमना जिला-रीवा (म0प्र0)

हनुमना, दिनांक 26.12.2020

431 / प्रवा0 / 2020

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला-रीवा (म0प्र0)

विषय:- ग्राम सरदमन की आराजी क्रमांक 677/2/क रकवा 03.400 हे0 उत्खनि क्षेत्र में पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिंदु का जांच प्रतिवेदन।

दर्भ:- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा का पत्र क्रमांक 5404/खनिज/2020 रीवा दिनांक 18/12/2020 ।

—00—

विषयान्तर्गत ग्राम सरदमन की आराजी क्रमांक 677/2/क रकवा 03.400 हे0 में उत्खनि क्षेत्र में पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिंदु पर जांच राजस्व निरीक्षक पिपराही/हल्का पटवारी सरदमन से कराई गई। राजस्व निरीक्षक पिपराही/हल्का पटवारी सरदमन द्वारा मौके से जांच की जाकर पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिंदु का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संलग्न राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित भू-खण्ड के 10 कि0मी0 की परिधि में कोई नेशनल पार्क व अभ्यारण्य नहीं तथा मानव बसाहट नहीं है। प्रस्तावित भू-खण्ड में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व नदी तालाब नहीं है तथा प्रस्तावित भू-खण्ड वन भूमि है।

अतः पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिंदु का जांच प्रतिवेदन सहपत्रों सहित सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(12/12/20)
तहसीलदार
तहसील-हनुमना
जिला-रीवा (म0प्र0)

पर्यावरणीय सम्मति हेतु सिया द्वारा निर्धारित बिन्दु

क्र.	निर्धारित बिन्दु	वस्तुस्थिति
1.	क्या 10 कि.मी. की दूरी में कोई नेशनल पार्क/आभारण्य/जैवविविधता स्थित है? तो उसकी दूरी	नहीं है।
2.	खनिपट्टा/उत्खनिपट्टा/घोष विकास खदान क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी कितनी है?	वन प्रभित के अनुसार है।
3.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थित है? तो उसकी दूरी	नहीं है।
4.	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर स्थित है? तो उसकी दूरी	नहीं है।
5.	500 मीटर की परिधि में स्वीकृत अन्य खनिपट्टा/लीज की जानकारी (रैत के प्रकरण में यह जानकारी 1000 मीटर रहेगी)	500 मी की दूरी पर मेखर प्रण 2-4 किमी की स्वीकृत खदान चल रही है।
6.	रैत उत्खनन के प्रकरण में नदी का नाम	—


 20/12/2020
 प.स. ल.स.प.न.स. ए.स.

भोगेश्वरी

 20/12/2020
 R.S.

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

वचन पत्र

भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.12.2023 के बिन्दु क्रमांक-6 के संबंध में आवेदक संस्था वचनबद्ध है कि आवेदित वनभूमि में वृक्षों के संबंध में जो भी व्यय होगा वह आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जायेगा तथा इस संबंध में जो भी निर्देश होंगे उसका पालन किया जायेगा।

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

PROPRIETOR